

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर
।। कार्य विभाजन विविध आदेश ।।

कमांक 116/एक-11-1/2009

बुरहानपुर, दिनांक 24/04/2025

मैं आशिता श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर (म.प्र.) पूर्व में जारी समस्त कार्य विभाजन विविध आदेशों को निरस्त करते हुये, व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 8(7), 214, 422, 441 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, सिविल जिला एवं सत्र खण्ड बुरहानपुर में स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय तथा सिविल जिला बुरहानपुर में स्थापित किये गये अन्य न्यायालयों में आगामी आदेश तक न्यायिक कार्य विभाजन विविध आदेश निम्नानुसार जारी करती हूँ, जो कि तत्काल प्रभावशील होगा :-

खण्ड 'अ' सिविल कार्य विभाजन

स.कं.	न्यायालय का नाम	न्यायिक कार्य क्षेत्राधिकार
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बुरहानपुर	<p>1-बुरहानपुर, नेपालगर एवं खकनार तहसील से उत्पन्न होने वाले रूपये-10,00,00000/- (रूपये दस करोड़) से अधिक मूल्यांकन के समस्त सिविल वाद, प्रवर्तन आवेदन पत्र, सिविल विविध मामले।</p> <p>2-सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा-24 के अंतर्गत आवेदन पत्र।</p> <p>3-भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलें।</p> <p>4-मध्यप्रदेश लोकल फंड अधिनियम की धारा-14 के अंतर्गत आवेदन पत्र।</p> <p>5-<u>आर्बिटेशन एवं रिकंसिलेशन अधि. 1996 के अंतर्गत ऐसे आवेदन एवं अपीलें जो जिला न्यायाधीश स्तर पर बुरहानपुर जिले के स्थानीय क्षेत्राधिकार के लिए गठित कमर्शियल कोर्ट भोपाल म.प्र. के क्षेत्राधिकार की नहीं है, से संबंधित याचिका एवं प्रवर्तन प्रकरण।</u></p> <p>6-प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध नियमित एवं विविध अपीलें जो <u>कमर्शियल अपील न्यायालय भोपाल म.प्र. के क्षेत्राधिकार से संबंधित नहीं है।</u></p> <p>7-<u>तहसील बुरहानपुर की सीमा</u> के अंतर्गत स्थित थानों (थाना निम्बोला को छोड़कर) के क्षेत्राधिकार एवं <u>अन्य जिलों में घटित मोटर दुर्घटना</u> से संबंधित दावें, एवं इस अधिकरण के अवार्ड आदेशों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां।</p>

		<p>8-नगर पालिका निगम बुरहानपुर एवं सिविल जिले में स्थित नगर पालिका/नगर पंचायत के चुनावों से संबंधित चुनाव याचिकाएं।</p> <p>9-विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के अंतर्गत अधोसंरचना परियोजनाओं से संबंधित संविदाओं के बारे में क्षेत्राधिकार का प्रयोग तथा दावों का विचारण।</p> <p>10-इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों, निर्णयों तथा जयपत्रों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां।</p> <p>11-समस्त वाद/आवेदन पत्र/अपीले जो कि अन्य अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत हो, जिनका इस कार्यविभाजन आदेश में उल्लेख नहीं है।</p>
2	<p>प्रथम जिला न्यायाधीश/ प्रथम अति. सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बुरहानपुर</p>	<p>1-बुरहानपुर, नेपालगर एवं खकनार तहसील से उत्पन्न होने वाले रु 1,00,00,000/- (रूपयें एक करोड़) से अधिक व रूपये-10,00,00000/- (रूपयें दस करोड़) तक के मूल्यांकन के समस्त सिविल वाद, प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा सिविल विविध मामलें।</p> <p>2-सिविल न्यायालय नेपालगर एवं प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध नियमित एवं विविध अपीलें जो कमर्शियल अपील न्यायालय भोपाल म.प्र. के क्षेत्राधिकार से संबंधित नहीं है।</p> <p>3-500 रु. (रु. पांच सौ) से 1000 रु. (एक हजार) तक के लघुवाद।</p> <p>4-तहसील खकनार एवं नेपालगर की सीमा के अंतर्गत स्थित थानों एवं थाना निम्बोला के सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्थित थानों के क्षेत्राधिकार में घटित मोटर दुर्घटना से संबंधित दावें, एवं इस अधिकरण के अवार्ड आदेशों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां।</p> <p>5-ग्राम न्यायालय से उत्पन्न अपीले एवं विविध अपीले।</p> <p>6-इस न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला न्यायाधीश के अति. न्यायाधीश बुरहानपुर एवं इस जिला स्थापना के गठन के पूर्व कार्यरत अपर जिला न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों, निर्णयों तथा जयपत्रों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहिया।</p> <p>7-भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम एवं म.प्र. उत्तराधिकार अधिनियम से संबंधित समस्त विषय जो जिला न्यायालय के क्षेत्राधिकार अंतर्गत आते हैं।</p> <p>8-मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम सन् 1987 के अंतर्गत वे प्रकरण जा जिला न्यायालय के क्षेत्राधिकार अंतर्गत आते हैं।</p> <p>9-प्रांतीय शोधन क्षमता अधिनियम 1920 के अंतर्गत वे कार्यवाहियों</p>

		जो जिला न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं।
		10-मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत प्रकरण जो जिला न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं।
		11-भू-अर्जन अधिनियम से संबंधित रिफरेंस।
		12-प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां।
3	द्वितीय जिला न्यायाधीश/ द्वितीय अति. सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बुरहानपुर	1-इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों, निर्णयों तथा जयपत्रों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2-तहसील खकनार की सीमा क्षेत्र के कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 7 में वर्णित समस्त प्रकरण। 3-तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बुरहानपुर एवं तृतीय/चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध नियमित एवं विविध अपीलें। 4-प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां।
4	तृतीय जिला न्यायाधीश, बुरहानपुर/तृतीय अति. सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बुरहानपुर	रिक्त
5	चतुर्थ जिला न्यायाधीश, बुरहानपुर/चतुर्थ अति. सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बुरहानपुर	1-इस न्यायालय एवं तृतीय जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेशों, निर्णयों तथा जयपत्रों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2-तहसील नेपानगर की सीमा क्षेत्र के कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 7 में वर्णित समस्त प्रकरण। 3-चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बुरहानपुर एवं पंचम/षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बुरहानपुर तथा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बुरहानपुर के न्यायालय के समस्त अति. न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध नियमित एवं विविध अपीलें। 4-प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां।
6	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बुरहानपुर	1- इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय डिक्री, आदेशों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2-प्रांतीय शोधन क्षमता अधिनियम 1920 के अंतर्गत वे प्रकरण जो व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। 3-म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1961 तथा म.प्र. नगर

		पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत वे अपील जिनकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड को है।
		4-भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 372 के अंतर्गत कार्यवाहियां ।
		5-रु. 200/- (रुपये दो सौ) से अधिक 500/- (पांच सौ) मूल्य तक के लघु वाद ।
		6- प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर न्यायिक एवं प्रशासनिक आदेशों के अंतर्गत अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
7	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बुरहानपुर	1- माह मई से अगस्त तक की अवधि में प्रस्तुत बुरहानपुर, नेपालगर एवं खकनार तहसील से उत्पन्न होने वाले रूपये-5,00,000/- (रुपये पांच लाख) से अधिक व 1,00,00,000/- (एक करोड) तक मूल्यांकन के "अ" एवं "ब" श्रेणी के व्यवहार वाद (कमर्शियल कोर्ट के प्रकरण छोड़कर)।
		2- माह मई से जुलाई तक की अवधि में प्रस्तुत बुरहानपुर, एवं खकनार तहसील से उत्पन्न होने वाले रूपये-5,00,000/- (रुपये पांच लाख) तक मूल्यांकन के "अ" एवं "ब" श्रेणी के व्यवहार वाद (कमर्शियल कोर्ट के प्रकरण छोड़कर)।
		3-"इस न्यायालय एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, नेपालगर द्वारा पारित आदेशों निर्णयों तथा जयपत्रों से उत्पन्न निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियां "।
		4-"प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर न्यायिक एवं प्रशासनिक आदेशों के अंतर्गत अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।"
8	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बुरहानपुर	1- माह सितम्बर से दिसम्बर तक की अवधि में प्रस्तुत बुरहानपुर, नेपालगर एवं खकनार तहसील से उत्पन्न होने वाले रूपये-5,00,000/- (रुपये पांच लाख) से अधिक व 1,00,00,000/- (एक करोड) तक मूल्यांकन के "अ" एवं "ब" श्रेणी के व्यवहार वाद (कमर्शियल कोर्ट के प्रकरण छोड़कर)।
		2- माह अगस्त से अक्टूबर तक की अवधि में प्रस्तुत बुरहानपुर एवं खकनार तहसील से उत्पन्न होने वाले रूपये-5,00,000/- (रुपये पांच लाख) तक मूल्यांकन के "अ" एवं "ब" श्रेणी के व्यवहार वाद (कमर्शियल कोर्ट के प्रकरण छोड़कर)।
		3-"इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों निर्णयों तथा जयपत्रों से उत्पन्न निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियां "।
		4-"प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर न्यायिक एवं प्रशासनिक आदेशों के अंतर्गत अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।"

9	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बुरहानपुर	1- माह जनवरी से अप्रैल तक की अवधि में प्रस्तुत बुरहानपुर, नेपानगर एवं खकनार तहसील से उत्पन्न होने वाले रूपये-5,00,000/- (रूपयें पांच लाख) से अधिक व 1,00,00,000/- (एक करोड) तक मूल्यांकन के "अ" एवं "ब" श्रेणी के व्यवहार वाद (कमर्शियल कोर्ट के प्रकरण छोड़कर)।
		2- माह नवम्बर से जनवरी तक की अवधि में प्रस्तुत बुरहानपुर एवं खकनार तहसील से उत्पन्न होने वाले रूपये-5,00,000/- (रूपयें पांच लाख) तक मूल्यांकन के "अ" एवं "ब" श्रेणी के व्यवहार वाद (कमर्शियल कोर्ट के प्रकरण छोड़कर)।
		3-"इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों निर्णयों तथा जयपत्रों से उत्पन्न निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियां "।
		4-"प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर न्यायिक एवं प्रशासनिक आदेशों के अंतर्गत अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।"
10	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, तहसील नेपानगर जिला बुरहानपुर	रिक्त
11	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बुरहानपुर	1- माह फरवरी से अप्रैल तक की अवधि में प्रस्तुत बुरहानपुर एवं खकनार तहसील से उत्पन्न होने वाले रूपये-5,00,000/- (रूपयें पांच लाख) तक मूल्यांकन के "अ" एवं "ब" श्रेणी के व्यवहार वाद (कमर्शियल कोर्ट के प्रकरण छोड़कर)।
		2-इस न्यायालय व न्यायालय द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बुरहानपुर एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बुरहानपुर के न्यायालय के समस्त अति. न्यायाधीश बुरहानपुर द्वारा पारित आदेशों निर्णयों तथा जयपत्रों से उत्पन्न निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियां।
		3-प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर न्यायिक एवं प्रशासनिक आदेशों के अंतर्गत अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
12	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बुरहानपुर	रिक्त
13	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ बुरहानपुर, बुरहानपुर	रिक्त
14	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बुरहानपुर	रिक्त
15	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बुरहानपुर	रिक्त
16	षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बुरहानपुर	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर न्यायिक एवं प्रशासनिक आदेशों के अंतर्गत अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।

17	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, नेपालगर (श्रृंखला न्यायालय)	1-नेपालगर नगर तहसील की राजस्व क्षेत्राधिकारिता में उत्पन्न होने वाले रूपयें 5,00,000/- (पांच लाख रु.) तक मूल्य के "अ" एवं "ब" श्रेणी के व्यवहार वाद।
		2-नेपालगर तहसील से उत्पन्न होने वाले, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के क्षेत्राधिकार के वे विषय जो इस कार्य विभाजन आदेश द्वारा नहीं दिये गये हैं।
		3-इस न्यायालय एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बुरहानपुर के न्यायालय के षष्ठम अतिरिक्त न्यायाधीश नेपालगर द्वारा पारित आदेशों, निर्णयों तथा जयपत्रों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां।
		4- प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर न्यायिक एवं प्रशासनिक आदेशों के अंतर्गत अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।

खण्ड 'ब' आपराधिक कार्य विभाजन

स.कं.	न्यायालय का नाम	न्यायिक कार्य क्षेत्राधिकार
1	सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर अधिसूचित विशेष न्यायालय	1-सत्र खण्ड बुरहानपुर से उत्पन्न सत्र प्रकरण, सत्र न्यायालयों में सुनवाई योग्य दाण्डिक अपील, दाण्डिक पुनरीक्षण एवं जमानत आवेदन पत्र।
		2-अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधि. से संबंधित प्रकरण।
		3-मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 से संबंधित प्रकरण।
		4-अधिसूचित विशेष न्यायालयों से संबंधित सभी प्रकार के प्रकरण।
		5-सत्र खण्ड बुरहानपुर अंतर्गत किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2005 के अंतर्गत ऐसे मामलों जिनमें किशोर की आयु 16 से 18 वर्ष के बीच निर्धारित की गई हैं।
		6-खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित अपीलें।
		7-इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश, निर्णय, बिना म्यादी गिरफ्तारी वारंट से उत्पन्न विविध कार्यवाहियां।
		8-ऐसे नियम/अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण जिनका उल्लेख इस आदेश में नहीं है परन्तु इस सत्र न्यायालय के विचारण योग्य हों।
		1- भ्रष्टाचार निवारण अधि.1988 से संबंधित प्रकरण।
		2- एन.डी.पी.एस एक्ट से संबंधित प्रकरण।

2	प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर अधिसूचित विशेष न्यायालय	3- नेशनल इनवेस्टीगेशन एजेंसी (एन.आई.ए.) से संबंधित प्रकरण।
		4- इस न्यायालय व प्रथम अति. सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर के अति. न्यायाधीश तथा इस जिला स्थापना गठन के पूर्व कार्यरत अपर सत्र न्यायालयों द्वारा पारित आदेश, निर्णय, बिना म्यादी गिरफ्तारी वारंट से उत्पन्न विविध कार्यवाहियां।
		5- सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर न्यायिक/प्रशासनिक आदेशों से अंतरित प्रकरण।
3	द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर अधिसूचित विशेष न्यायालय	1- विधुत अधिनियम से संबंधित प्रकरण
		2- इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश, निर्णय, बिना म्यादी गिरफ्तारी वारंट से उत्पन्न विविध कार्यवाहियां।
		3- सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर न्यायिक/प्रशासनिक आदेशों से अंतरित प्रकरण।
4	तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर	रिक्त
5	चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर अधिसूचित विशेष न्यायालय	1- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि. 2012 से संबंधित प्रकरण।
		2- इस न्यायालय तथा तृतीय अति. सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश, निर्णय, बिना म्यादी गिरफ्तारी वारंट से उत्पन्न विविध कार्यवाहियां।
		3- सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर न्यायिक/प्रशासनिक आदेशों से अंतरित प्रकरण।

टीप :-

1. स्थापना के संबंधित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के समस्त प्रकार के अवकाश एवं प्रशिक्षण पर रहने के फलस्वरूप संबंधित न्यायालयों का कार्य तालिका "अ" में वर्णित न्यायिक अधिकारियों द्वारा सम्पादित किया जावेगा।
2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि एवं शीतकालीन अवकाश अवधि व अन्य अवकाश/प्रशिक्षण अवधि में उक्त न्यायालय का एवं प्रशासनिक कार्य प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर के द्वारा सम्पादित किया जावेगा, तथा उनकी अनुपस्थिति में चतुर्थ/द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त न्यायाधीश बुरहानपुर के द्वारा उक्त कार्य सम्पादित किया जावेगा।
3. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय की अवकाश अवधि/अनुपस्थिति में उनके न्यायालय से संबंधित कार्य, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अवकाश अवधि/अनुपस्थिति में प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के अवकाश अवधि/अनुपस्थिति में चतुर्थ/द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर द्वारा सम्पादित किया जावेगा।
4. लोक अदालत की खण्डपीठ के द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन वाद का प्रस्तुतीकरण एवं निराकरण उसी न्यायालय द्वारा किया जावेगा, जिस न्यायालय के समक्ष मूल प्रकरण प्रस्तुत हुआ है।

जिला मुख्यालय बुरहानपुर/तहसील नेपालगर के न्यायालयों के न्यायाधीशगणों के अवकाश/अनुपस्थित/अस्थाई रिक्त की स्थिति में निम्नांकित न्यायालयों द्वारा आवश्यक कार्य किया जायेगा।

// तालिका-अ //

स. क.	न्यायालय का नाम	प्रथम उत्तरवर्ती न्यायालय	द्वितीय उत्तरवर्ती न्यायालय	तृतीय उत्तरवर्ती न्यायालय
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
2	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर
3	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर
4	चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर
5	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
6	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
7	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
8	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
9	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
10	षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
11	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, नेपालगर (शृंखला न्यायालय)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड

टीप :-

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अवकाश/अनुपस्थिति की दशा में प्रस्तुत होने वाले एक-एक नवीन जमानत आवेदन पत्र कमानुसार प्रथम/द्वितीय/चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर के न्यायालय के समक्ष अंतरित समझे जावेंगे व उन्ही के द्वारा निराकरण किया जावेगा। यदि किसी अपराध में एक सहअभियुक्त का जमानत आवेदन या उसी अभियुक्त का प्रथम जमानत आवेदन पूर्व में किसी न्यायालय द्वारा निराकृत किया गया हो तो उस अपराध में पश्चातवर्ती आवेदन उसी न्यायालय में अंतरित माने जाकर निराकृत किये जायेगें।

2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर व प्रथम/द्वितीय/चतुर्थ जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीशण बुरहानपुर के अवकाश/अनुपस्थिति की स्थिति में मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा आवश्यक कार्य सम्पादित किया जावेगा।
3. उपरोक्त व्यवहार न्यायाधीशों के अवकाश/अनुपस्थिति की स्थिति में मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश द्वारा आवश्यक कार्य सम्पादित किया जावेगा।

सही /—

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बुरहानपुर (म.प्र.)

पृष्ठां. क्रमांक 854/एक-11-1/2009

बुरहानपुर, दिनांक 24/04/2025

प्रतिलिपि :-

- 1— माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर।
 - 2— प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बुरहानपुर।
 - 3— प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर।
 - 4— प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बुरहानपुर।
 - 5— प्रथम/तृतीय/चतुर्थ/षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बुरहानपुर।
 - 6— सिविल न्यायालय तह. नेपालनगर बुरहानपुर।
 - 7— प्रभारी अधिकारी, कार्यालय अनुभाग, बुरहानपुर।
 - 8— प्रस्तुतकार, न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर।
 - 9— प्रशासनिक/उप प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय, बुरहानपुर।
 - 10— अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, बुरहानपुर।
 - 11— जिला कलेक्टर, बुरहानपुर।
 - 12— पुलिस अधीक्षक, बुरहानपुर।
 - 13— शासकीय अधिवक्ता, जिला बुरहानपुर।
 - 14— जिला अभियोजन अधिकारी, बुरहानपुर।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

Asit
24/4/25

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बुरहानपुर (म.प्र.)